न्यायालय श्री अखिलेश प्रताप सिंह, न्या0 दण्डा0, प्र0 श्रे0, दाउदनगर ।

जी0आर0सं0:-318/2020

हसपुरा थाना कांड संख्या :-89/2020

अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता :- श्री मनोज कुमार (अ0 पदाधिकारी)।
बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता :- श्री बृजनन्दन कुमार ।

06.10.2020 कारावधीन अभियुक्त पवन मिस्त्री की ओर से ई-फायलिंग के तहत शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया । जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई ।

वाद पुकार पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक निर्दोष है । आवेदक की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नही किया है । आवेदक दिनांक-22.09.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में है । आवेदक के विरूद्ध दर्ज धाराओं में धारा 307 भा0दं0सं0 को छोड.कर अन्य सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का है तथा उक्त धारा वाद को गम्भीर बनाने के आशय से लगाया गया है । उक्त वाद हसपुरा थाना कांड संख्या-90/2020 का पलटा मुकदमा है । उभय पक्ष के बीच जमीनी विवाद है । आवेदक के विरूद्ध प्रत्यक्ष आरोप नही है । अतः आवेदक को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते हैं ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया । जिससे विदित होता है कि इस वाद की प्राथमिकी धारा 341, 323, 324, 307 एवं 504/34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दर्ज की गई है। संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि कुट्टी रखने को लेकर हुए विवाद में उक्त अभियुक्त सहित इस वाद के अन्य अभियुक्त ने हाथ में लाठी, डंडा, टांगी, खांती लेकर आये और सूचक एवं उसके परिवार को गाली-गलौज करने लगे, सूचक द्वारा जब मना किया गया तो पवन मिस्त्री खांती-टांगी से सूचक के सिर पर मार दिया, जिससे सूचक का सर फट गया और जख्मी हो गया तथा जब सूचक को बचाने उसकी पत्नी एवं पुत्र आये तो उसे भी मारपीट किया गया, जिसमें वे घायल हो गये है । आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है । प्राथमिकी से यह स्पष्ट है कि जख्मी का जख्म सिर पर है यानी जख्म शरीर के Vital Part पर है । प्राथमिकी से यह स्पष्टतः दर्शित होता है कि आवेदक के द्वारा सूचक के सिर पर खांती-टांगी से मारा गया है । आवेदक के विरूद्ध गम्भीर आरोप है । उक्त वाद में अनुसंधान जारी है । उक्त वाद के अन्य अभियुक्तगण का जमानत इस न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है । अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति तथा गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाता है ।

न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दाउदनगर ।